फा.सं.जेड-14014/1/2019-जीसी (ई-9315)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 17.07.2019

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: जून, 2019 के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त दिनांक 17.08.2018 एवं 11.10.2018 के पत्रांक 1/26/1/2018-कैब. का उल्लेख करने और जून, 2019 के लिए भूमि संसाधन विभाग के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

(अशोक कुमार)

अवर सचिव (जीसी एंड पार्लि.)

दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सभी सचिव, भारत सरकार।
6. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
7. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव
2. माननीया ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के निजी सचिव

भूमि संसाधन विभाग

जून, 2019 माह के दौरान महत्वपूर्ण कार्यकलापों का सार

1. 100 दिनों और 5 वर्षों के विजन दस्तावेज के लिए विभाग की कार्य योजना तैयार की गई।

2. डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत, जून, 2019 के दौरान 92 परियोजनाओं के पूरा किए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिससे जून, 2019 तक पूरी की गई परियोजनाओं की कुल संख्या 2461 हो गई है। यह 2009-10 से 2014-15 के दौरान 28 राज्यों में स्वीकृत कुल 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाओं में से है। नीरांचल सहित डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत वाटरशेड विकास के लिए इस वित्त वर्ष (जून, 2019 तक) के दौरान राज्यों को 90.07 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों (असम, नागालैंड और त्रिपुरा) को 89.27 करोड़ रु. जारी किए गए जिसमें से 48.07 करोड़ रु. जनजातीय उप योजना (असम, नागालैंड और त्रिपुरा) के तहत जारी किए गए।

3. 26 जून, 2019 को डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई संबंधी संचालन समिति की 40वीं बैठक आयोजित की गई। निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(i) एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करना जिसमें बैच I, II और III की परियोजना अवधि का समय बढ़ाने के राज्य सरकार के अनुरोध के आधार, इसके औचित्य और इसमें शामिल वित्तीय भार का उल्लेख हो;

(ii) समिति ने तकनीकी रूप से बैच V और बैच VI की परियोजनाओं को जारी रखने पर सहमति दी, जिनकी कार्यान्वयन समय-अवधि पीएमकेएसवाई स्कीम की अवधि के बाद तक है, और उसने इस मामले में आगे बात करने का निदेश दिया।

(iii) समिति ने पश्चिम बंगाल राज्य के संशोधित परियोजना क्षेत्र और परियोजनाओं की लागत का अनुमोदन किया।

(iv) समिति ने 1:10000 के पैमाने पर बंजर भूमि एटलस के प्रकाशन का अनुमोदन किया।

4. 4 जून, 2019 को, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और पंजाब राज्यों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई। अरूणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्यों के लिए 10 जून, 2019 को एक अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उक्त दोनों बैठकों में राज्यों से परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने, अपने एमआईएस डाटा को नियमित आधार पर अद्यतन करने और अपने कार्यकलापों को जीओ-टैग करने का अनुरोध किया गया। एनआरएससी से राज्यों को सहायता करने का अनुरोध किया गया।